प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**, ...थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2022**....
प्र. इ. रि. स. ....489/22.... दिनांक ....27/12/2022....
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7, 7ए**.........
(ब) अधिनियम ....धारायें......... **120 बी भा.द.सं.** ....
(स) अधिनियम ....धारायें..
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....534.... समय....3:50 pm....
(ब) अपराध घटने का दिन–दि.–..................**सोमवार / 26.12.2022 / 04:00 पी.एम.** ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – ....**लिखित** ....
5. घटनास्थल :–......**राज0 उच्च माध्य0 विद्या0 बयाना के सामने मेन रोड़ बयाना, जिला भरतपुर**.........
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ....**बजानिव दिशा उत्तर–पूर्व, दूरी करीब 70 कि.मी**............
(ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.................जिला.........................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....**श्री नबाव सिंह** ....
(ब) पिता / पति का नाम .....**श्री मुखत्यार सिंह**...जाति ....**गुर्जर**....(स) जन्म तिथि / वर्ष.....**50 वर्ष** ....
(द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.................जारी होने की जगह................................
(र) व्यवसाय................. **राशन डीलर**...
(ल) पता........**निवासी ग्राम ईटखेड़ा, ग्राम पंचायत खूटखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर** ....
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **सुबोध कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह कोन्तेय, उम्र 34 वर्ष, जाति जाट, निवासी बी–63, न्यू सिविल लाईन, सारस चौराहा भरतपुर, पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना, जिला भरतपुर।**
2. **दलाल भगवान दास गर्ग पुत्र श्री डालचन्द उम्र 52 साल जाति अग्रवाल निवासी सेक्टर–ए, आदर्श नगर बयाना पुलिस थाना कोतवाली बयाना जिला भरतपुर हाल राशन डीलर उचित मूल्य दुकान वार्ड न. 11 बयाना, जिला भरतपुर।**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–..........**कोई नही**...........................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
....**10,000 / –रूपये रिश्वत राशि** ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).......
....**10,000 / –रूपये रिश्वत राशि** ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ACB करौली। विषय– रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं ग्राम पंचायत खुटखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर का राशन डीलर हूं। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार दिनांक 30 / 08 / 2022 को मेरी उचित मूल्य की दूकान पर जांच करने आया और मेरे से कहा कि तेरा रिकार्ड सही नही है, तू मुझे 10,000 / दस हजार रूपये दे नही तो जांच कर तेरे लाईसेंस को निलम्बित करा दूंगा। मैने रूपये देने से मना कर दिया तो उन्होने मेरे खिलाफ जांच कर मेरे राशन डीलर का लाईसेंस दिनांक 02 / 09 / 2022 निलम्बित करवा दिया, मुझे नोटिस दिला दिया, जिसका मैने जबाव दे दिया जिस पर D.S.O. दिनांक 20 / 10 / 2022 को मेरे राशन डीलर लाईसेंस को बहाल कर दिया। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार मेरे से अब 10,000 रूपये लेने की कह रहा है अगर नही देगा तो तेरे लाईसेन्स को दूबारा निलम्बित करवा दूंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हू। उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी हस्ता0 29 / 10 / 2022 नबाव सिंह S/O मुख्यतार सिंह, उम्र 50 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ईटखेड़ा, ग्राम पंचायत खूटखेड़ा, त0 बयाना जि0 भरतपुर 9521847285, 9414847285

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.10.2022 समय 02:30 पी.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी करौली

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री नबाव सिंह S/O श्री मुखतार सिंह, उम्र 50 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ईटखेड़ा, ग्राम पंचायत खूटखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ावने बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री नबाव सिंह से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए बताया कि मैं ग्राम पंचायत खुटखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर का राशन डीलर हूं। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार दिनांक 30.08.2022 को मेरी उचित मूल्य की दूकान पर जांच करने आये और मेरे से कहा कि तेरा रिकार्ड सही नही है, तू मुझे 10,000/—रूपये दे नही तो जांच कर तेरे लाईसेंस को निलम्बित करा दूंगा। मैने रूपये देने से मना कर दिया तो उन्होने मेरे खिलाफ जांच कर मेरे राशन डीलर के लाईसेंस को दिनांक 02.09.2022 निलम्बित करवा दिया, मुझे नोटिस दिला दिया, जिसका मैने जबाव दे दिया जिस पर डी.एस.ओ. ने दिनांक 20.10.2022 को मेरे राशन डीलर लाईसेंस को बहाल कर दिया। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार मेरे से अब 10,000 रूपये लेने की कह रहा है और नही देगा तो तेरे लाईसेन्स को फिर निलम्बित करा दूंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हू। उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार आज अपनी ऑफिस में नही मिलेगा, वह सोमवार या मंगलवार को अपनी ऑफिस बयाना में मिलेगे। मैं आपके पास आज इसलिए आया हूं क्योंकि सुबह—सुबह मेरे को खेती—बाड़ी का काम रहता है और सुबह जल्दी मैं आपके ऑफिस नही आ सकता हूं। इस पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय वाईस रिकार्डर निकाल कर परिवादी श्री नबाव सिंह को रिश्वत मांग की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समझाया जाकर वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व वाईस रिकार्डर को खाली किया जाकर वापस आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी आरोपी के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करने जाओ उससे पूर्व इस कार्यालय में उपस्थित होवे या मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करें जिससे एक कर्मचारी आपके पास मय वाईस रिकार्डर के सत्यापन हेतु भिजवाया जा सके। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका विभागीय नियुमानुसार आईन्दा गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा एवं सत्यापन से जैसी स्थिति होगी तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी श्री नबाव सिंह को बाद हिदायत रूकसत किया गया। दिनांक 06.12.2022 को समय करीब 10:35 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक के मोबाईल नं. 9783828013 पर परिवादी श्री नबाव सिंह के मोबाईल नं. 9521847285 से कॉल आया परन्तु कॉल अटेण्ड नही कर पाया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के उक्त मोबाईल नं. पर रिकॉल किया गया जिस पर परिवादी श्री नबाव सिंह द्वारा बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार आज दिन में मुझे अपने ऑफिस में बुला रहे है और महिने की बंधी के बारे में बात करेगे। मैं अभी आपकी ऑफिस करौली में नही आ सकता। आप किसी कर्मचारी को वाईस रिकार्डर लेकर बयाना भिजवा दो। मैं आपके कर्मचारी को दिन के करीब 1—2 बजे बयाना में एस.डी.एम. ऑफिस के पास मिल जाऊंगा। इस पर समय 11:00 ए.एम. पर गवाहान के सामने कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर को निकालकर को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई एवं डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से अटैच कर खाली करवाकर बन्द हालत में श्री कपिल सिंह कानि. 168 को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नं. दिये जाकर हिदायत दी गई कि बयाना एस.डी.एम. ऑफिस के पास पहुंच परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर मिले एवं परिवादी को आरोपी प्रवर्तन निरीक्षक के पास जाने से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने के बाद परिवादी के वापस आने पर डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रख परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित होवे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:30 ए.एम. पर श्री कपिल सिंह कानि. 168 को मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के सरकारी मोटर

साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री नबाव सिंह के मोबाईल नं. दिये जाकर परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया जो उसी दिन समय 05:05 पी.एम. पर मय परिवादी श्री नबाव सिंह के उपस्थित कार्यालय आ गया व श्री कपिल सिंह कानि. द्वारा वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस बाद राजकार्य भरतपुर से कार्यालय में आने के पश्चात समय 08:50 पी.एम. पर श्री बृजेश कुमार कानि. 461 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक द्वारा पत्रावली पेश की। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री नबाव सिंह मन उप अधीक्षक के पास आया बताया कि आज दिन में मुझे आपका कर्मचारी एस.डी.एम. ऑफिस के पास मिल गया जिसने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे सुपुर्द कर दिया तथा मैं वहां से मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर पंचायत समिति बयाना में गया जहां एक डीलर से पूछा तो उसने बताया कि इस्पेक्टर साहब तो एस.डी.एम. ऑफिस की तरफ गये है इस पर पंचायत समिति से रवाना होकर एस.डी.एम. में अन्दर गया जहां मुझे प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध कुमार मिल गया उसके पास कुछ आदमी थे। उनके जाने के बाद में मिला व मेरी दूकान के बारे में बात की तो सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक ने 20,000 रूपये दोंनो उचित मूल्य की दूकानो के मांगे। एक दुकान तो मेरी तथा दूसरी दुकान मेरी ग्राम पंचायत की है। दोनो दुकानों के 5000–5000 रूपये कुल 10,000 रूपये एडवान्स एवं 10,000 रूपये राशन का वितरण होने के बाद देने को कहा है। प्रवर्तन निरीक्षक ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नही आयेगी। एक मोबाईल नम्बर देकर बताया कि इससे बात कर लेना और रूपये उसको 1–2 दिन में ही दे देना। बात होने के बाद में एस.डी. एम. ऑफिस से बाहर आ गया और रोड़ पर मुझे कपिल सिंह जी मिल गये जिनको मैने वाईस रिकार्डर दे दिया जिन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया और मैने कपिल जी को बताया कि 10,000 रूपये रिश्वत के मांगे है। इसके बाद मैं उसको राहुल सुपारी दुकान से खरीदकर उसे देकर वापस कपिल के पास आ गया। फिर हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके ऑफिस में आ गये। कपिल सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर आलमारी में रख दिया और मैं ऑफिस में बैठ गया। समय 09:00 पी.एम. पर श्री कपिल सिंह कानि. ने मांगने पर परिवादी श्री नबाव सिंह के सामने कार्यालय की आलमारी में निकालकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द हालत में पेश किया जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 09:10 पी.एम. पर गवाहान व परिवादी श्री नबाव सिंह की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acerकम्पनी) में कनेक्ट करवा कर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (23 मिनट 35 सैकेण्ड) को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का 1 पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु व 2 DVD (SONY कम्पनी) एक मुल्जिम प्रति एवं एक आई.ओ. प्रति तैयार करवाकर मार्क "A" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा न्यायालय प्रति पैन ड्राईव (Kingston) व मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.12.2022 से आरोपी सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य की दूकानों पर दिक्कत नही आने की एवज में परिवादी से स्वयं की उचित मूल्य की दुकान व उसी ग्राम पंचायत की दूसरी उचित मूल्य की दूकान के 20,000 रूपये रिश्वत की मांग करना। दोनो दुकानों के 5000–5000 रूपये कुल 10,000 रूपये एडवान्स एवं 10,000 रूपये राशन का वितरण होने के बाद रिश्वत की मांग करना स्पष्ट हो चुका है। समय 11:50 पी.एम. पर न्यायालय प्रति पेन ड्राईव मार्क A व एक मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क A को जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरे पास अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है एवं कल मेरी भरतपुर में तारीख पेशी है। सुबोध जी सोमवार से बुद्धवार तक बयाना में बैठते है। मैं रिश्वत राशि किसी दूसरे व्यक्ति को नही देकर स्वयं सुबोध

कुमार प्रवर्तन निरीक्षक को सोमवार के बाद ही दूंगा। मैं सोमवार तक आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। अभी रात्रि का समय है, मैं कल सुबह जल्दी आपके कार्यालय से भरतपुर के लिए रवाना हो जाऊंगा। इस पर परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय में ही रोका जाकर सुबह कार्यालय से रूकसत होने की हिदायत दी गई। दिनांक 09.12.2022 को समय 03:00 पी.एम पर परिवादी श्री नबाव सिंह उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मैं कई दिनो से सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक के बयाना ऑफिस में आने की सूचना ले रहा था लेकिन वह कई दिनो से बयाना अपने ऑफिस में आता भी है तो थोड़ी देर के लिए आता है। मेरी जब उससे बात हो जायेगी या मुझे बुलायेगा तो मैं रिश्वत राशि लेकर आपके कार्यालय में आ जाऊंगा। समय 03:30 पी.एम. पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 23.12.2022 को समय 11:50 ए.एम. पर परिवादी श्री नबाव सिंह उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक को रिश्वत में देने हेतु राशि 10,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं। आज सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक अपनी ऑफिस बयाना में मिल जायेगा। इस पर समय 11:55 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड करौली के पदनाम से तहरीर जारी कर गवाहान हमराह लाने हेतु श्री केशव देव कानि. 600 को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड करौली के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो समय 12:25 पी.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह क्रमशः श्री मनोज कुमार शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड करौली एवं श्री रूखराज मीना हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड करौली को साथ लेकर आया। जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री नबाव सिंह से आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। समय 12:50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री नबाव सिंह ने मांगने पर आरोपी सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग बयाना को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	0 HQ 109118
2	एक नोट 500 रूपये का	3 EE 732565
3	एक नोट 500 रूपये का	7 UB 513033
4	एक नोट 500 रूपये का	5 VA 270701
5	एक नोट 500 रूपये का	9 TR 252612
6	एक नोट 500 रूपये का	9 GF 834244
7	एक नोट 500 रूपये का	3 SB 278946
8	एक नोट 500 रूपये का	7 EM 247672
9	एक नोट 500 रूपये का	3 PB 949930
10	एक नोट 500 रूपये का	7 FG 191976
11	एक नोट 500 रूपये का	9 RD 272686
12	एक नोट 500 रूपये का	5 QE 858524
13	एक नोट 500 रूपये का	5 MP 942541
14	एक नोट 500 रूपये का	0 AS 930913
15	एक नोट 500 रूपये का	4 HQ 108214
16	एक नोट 500 रूपये का	5 KL 439042
17	एक नोट 500 रूपये का	5 FG 742371
18	एक नोट 500 रूपये का	5 LA 098180
19	एक नोट 500 रूपये का	6 FG 997089
20	एक नोट 500 रूपये का	5 KR 018071

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से फर्द से करवाया गया। तत्पश्चात श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगाया जाकर श्री बृजेश कुमार कानि. चालक से एक

अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 10,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी नबाव सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री बृजेश कुमार कानि. चालक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 10,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री नबाव सिंह के बदन पर पहने हुए कुर्ता के सामने की ऊपर की बांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर सूचना करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी आवश्यक हिदायत दी गई साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री बृजेश कुमार कानि. चालक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री बृजेश कुमार कानि. चालक से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री नबाव सिंह को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:00 पी.एम. पर परिवादी श्री नबाव सिंह ने बताया कि फोन कर मैने मेरे लड़के से सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक का पता करवाया तो सुबोध कुमार आज बयाना ऑफिस में नही आया है और अब नही आने की सम्भावना है। कल शनिवार का अवकाश है तथा परसो रविवार का अवकाश है। सोमवार को मैं पताकर आपको फोन कर सूचना कर दूंगा। इस पर परिवादी के पहने हुए कुर्ता की सामने की ऊपर की जेब में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी रिश्वत राशि 10,000 रूपयो को श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 से निकलवाकर लिफाफा में रखवा कर मालखाना में लिफाफा सहित सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी श्री नबाव सिंह व श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के दोनो हाथो का साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। समय 02:30 पी.एम. पर परिवादी श्री नबाव सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत रूकसत किया गया। दिनांक 26.12.2022 को परिवादी के मोबाईल से मिस कॉल आने पर समय करीब 10:18 एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नं. 9783828013 से परिवादी के मो. नं. 9414847285 पर रिकॉल किया गया व परिवादी श्री नबाव सिंह से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आज सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक दिन में करीब 02:30 पी.एम. तक अपने ऑफिस में बयाना में आ जायेगा। मैं

आपको डूमरिया रेलवे फाटक के पास मिल जाऊंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त सूचना पर स्वतंत्र गवाहान को कॉल कर तलब किया गया जिस पर समय 11:00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। समय 11:30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने कार्यालय के मालखाना में दिनांक 23.12.2022 को ट्रेप कार्यवाही की लिफाफा में फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 10,000 रूपये रखवाई हुई को श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 के मार्फत लिफाफा सहित निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से दिनांक 23.12.2022 को कार्यालय में तैयार कर गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूंबहू होना पाये गये जिस पर उक्त रिश्वत राशि को पूर्वानुसार लिफाफा में रखवाकर श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के पास सुरक्षित रखवाये जाकर आवश्यक हिदायत दी गई एवं मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान, श्री बृजेश कुमार कानि. चालक व शेष ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। समय 11:55 ए.एम. श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 को मय लिफाफा जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 10,000 रूपये रखी हुई के सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से तथा सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ 14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री रूाखराज मीना कनिष्ठ सहायक, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277, श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री विष्णु सिंह कानि. 135, श्री कपिल सिंह कानि. 168, श्री केशव देव कानि. 600 एवं मय वैध लाईसेंस धारक श्री बृजेश कुमार कानि. 461 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, वाईस रिकार्डर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के परिवादी की मोबाईल फोन की सूचना पर कार्यालय से रवाना होकर समय 01:25 पी.एम. पर डुमरिया रेलवे फाटक से आगे पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री नबाव सिंह उपस्थित मिला जिसने बताया कि मैं मेरे गांव के राशन डीलर के लडके को फोन कर पता लगा लूंगा कि सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक कब तक बयाना आ रहा है, वैसे 02:30 पी.एम. तक बयाना आ जायेगा। इस पर श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के पास लिफाफा में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी रिश्वत राशि 10,000 को स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री नबाव सिंह के पहने हुए कुर्ते की सामने की ऊपर की बांयी जेब में रखवाये गये व परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि को हाथ नही लगावे आरोपी के मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि निकालकर देवे, व आरोपी रिश्वत राशि कहा रखता है इसका ध्यान रखे। परिवादी को वाईस रिकार्डर (पेन ड्राईव नुमा) की चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर वाईस रिकार्डर को परिवादी के गले में काले धागे से लटवाया गया। परिवादी को बाद हिदायत बयाना के लिए रवाना किया तथा श्याम सिंह कानि. को परिवादी के पीछे–पीछे सरकारी मोटर साईकिल से बयाना के लिए रवाना किया गया। श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 से खाली लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि रखी गई थी को जलाकर नष्ट किया गया व श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के दोनो हाथ साबुन पानी से साफ करवाये जाकर श्री बृजेश कुमार कानि. चालक को बाद हिदायत प्राईवेट वाहन/बस से बयाना जाने की हिदायत देकर बताया कि तलब करने पर उपस्थित होवे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कलसाड़ा रोड पर ही मुकिम रहा। समय 02:30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहन, ट्रेप पार्टी सदस्यों के कलसाड़ा रोड से सरकारी वाहन से रवाना होकर समय 02:45 पी.एम. पर एस.डी.एम. ऑफिस बयाना के पास पहुंचा हूं। सरकारी वाहन बोलेरो को बस स्टेण्ड की तरफ ले जाने हेतु श्री बृजेश कुमार कानि. 461 को हिदायत देकर मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी बिना ईशारा किये ही मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया व बताया कि अभी सुबोध कुमार अपनी ऑफिस में नही आया है। आने पर मैं आपको बता कर उसके पास जाउंगा। इस पर ट्रेप पार्टी सदस्यों को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03:00 पी.एम. पर परिवादी को आरोपी के पास एस.डी.एम. ऑफिस बयाना के लिए रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहन, ट्रेप पार्टी सदस्यों के परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा करने लगा। समय 03:20 पी.एम. पर परिवादी श्री नबाव सिंह राशन डीलर द्वारा एस.डी.एम. ऑफिस बयाना से बाहर निकलकर बताया कि अभी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक अभी भरतपुर से आ रहा है और बस स्टेण्ड पर उचित मूल्य की दूकान पर मिलेगा। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आप अपनी मोटर साईकिल से बस स्टेण्ड की तरफ चलो और आरोपी सुबोध कुमार के मिलने से पूर्व

वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत लेन–देन से सम्बन्धित बात करे व आरोपी सुबोध कुमार को ईशारे से भी बताये जिससे आरोपी की पहचान हो सके एवं रिश्वत लेन–देन होने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर नियत ईशारा करें एवं श्री श्याम सिंह कानि. व केशव देव कानि. को हिदायत दी कि सरकारी मोटर साईकिल से दोनो परिवादी के आस–पास रहे व परिवादी से नियत ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस को तुरन्त सूचित करे। इस पर परिवादी वाईस रिकार्डर चालू कर अपनी मोटर साईकिल से बस स्टेण्ड की तरफ रवाना हो गया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी सदस्य सरकारी मोटर साईकिल व ऑटो से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर बस स्टेण्ड होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ गये व वापस बस स्टेण्ड बयाना की तरफ आ गया। परिवादी के पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी सदस्य परिवादी के आस–पास खड़े हो गये। बस स्टेण्ड के पास एल.आई.सी. ऑफिस के सामने पेट्रोल पम्प के पास स्थित उचित मूल्य की दूकान पर परिवादी काले कोट वाले एक व्यक्ति से वार्ता करने लग गया व बातो ही बातो में आरोपी सुबोध कुमार की तरफ ऊंगली से ईशारा कर दिया जिससे आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक की मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा की पहचान की गई। ट्रेप पार्टी सदस्य व स्वतंत्र गवाहान उक्त उचित मूल्य की दूकान के आस पास खड़े हो गये। इसके कुछ देर बाद परिवादी बिना नियत ईशारा के ही अपनी मोटर साईकिल स्टार्ट कर रवाना हुआ जिसके पीछे–पीछे श्री श्याम सिंह कानि. व श्री केशव देव कानि. सरकारी मोटर साईकिल से व श्री विष्णु सिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री रूखराज सिंह कनिष्ठ सहायक को परिवादी के पीछे–पीछे रवाना किये, मन उप अधीक्षक पुलिस व शेष ट्रेप पार्टी सदस्य व स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक उचित मूल्य की दूकान के आस–पास खड़े हो गये, समय करीब 04:00 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. द्वारा जरिये मोबाईल द्वारा अवगत कराया कि परिवादी द्वारा दलाल को रिश्वत राशि दे दी है जिसका नियत ईशारा परिवादी से प्राप्त हो गया है। इस पर श्री श्याम सिंह कानि. को हिदायत दी गई कि आप अपनी उक्त दलाल पर नजर रखे एवं अगर इधर–उधर होता है तो उसका पीछा करें। सरकारी वाहन को श्री बृजेश कुमार कानि. 461 से जरिये मोबाईल तलब किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी द्वारा पूर्व में बताये गये काले कोट वाले व्यक्ति के पास पहुंच कर अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना परिचय देकर ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना होना बताया। इस पर उक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक को सरकारी वाहन में हमराह लेकर रवाना होकर कचहरी परिसर के सामने बयाना में मैन रोड़ पर पहुंचे जहां श्याम सिंह कानि., श्री केशव देव कानि., श्री विष्णु सिंह कानि., स्वतंत्र गवाह श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक एक व्यक्ति के पास खड़े हुए मिले जिन्होने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि इस व्यक्ति को ही परिवादी द्वारा रिश्वत राशि दी गई है इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार उक्त व्यक्ति को श्री श्याम सिंह कानि. व अन्य स्टाफ द्वारा उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार समय 04:18 पी.एम. पर पुलिस थाना कोतवाली बयाना में लेकर आये। थाना सन्तरी को परिचय देकर थानाधिकारी कक्ष में प्रवेश कर आरोपीगणों को कुर्सी पर बिठाया गया व तसल्ली देकर आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक से अपना पूरा नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम पता सुबोध कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह कोन्तेय, उम्र 34 वर्ष, जाति जाट, निवासी बी–63, न्यू सिविल लाईन, सारस चौराहा भरतपुर, पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना जिला भरतपुर होना बताया इस पर आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक से रिश्वत लेन–देन के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि मैने नबाव सिंह से कोई रिश्वत की मांग नही की एवं नां ही किसी राशन डीलर को देने के लिए कहा। मेरी आज तक नबाव सिंह से कोई रूपयो की लेन–देन की वार्ता नही है। आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि दिनांक 29.10.2022 को मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर दिनांक 06.12.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना मेरी व मेरे गांव की दूसरी उचित मूल्य की दूकान पर चैकिंग नही करने व परेशान नही करने की एवज में मेरे से 20,000 रूपये की रिश्वत की मांग की, 10,000 रूपये एडवान्स अपने दलाल भगवान दास गर्ग को व 10,000 रूपये वितरण होने के बाद देने की कहा था। आज अभी कुछ देर पहले बस स्टेण्ड बयाना पर सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा मेरे से रिश्वत लेन–देन के बारे में वार्ता कर

रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने दलाल भगवान दास गर्ग को देने की कहा व मेरे मोबाईल में भगवान दास गर्ग के मोबाईल नम्बर लगाकर मेरे को दे दिये जिस पर मैने भगवान दास गर्ग से वार्ता की जिसने अपने आप को एस.डी.एम. ऑफिस बयाना में होना बताया। इस पर मैं वंहा से बिना ईशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल से रवाना होकर एस.डी.एम. ऑफिस के बाहर आया जहां मुझे दलाल भगवान दास गर्ग मिल गया जिससे मैने सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक के कहे अनुसार 10,000 रूपये दिये तो उसने बैग में डालने के लिए कहा लेकिन मेरे द्वारा कहने पर भगवान दास गर्ग द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने दायें हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रख लिए जिस पर मैने मौका देखकर श्याम सिंह को अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा कर दिया। मैंने साईड में होकर वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया। इस पर आरोपी दलाल से पूरा नाम पता पूछा गया दलाल ने अपना नाम पता भगवान दास गर्ग पुत्र श्री डालचन्द उम्र 52 साल जाति अग्रवाल निवासी सेक्टर–ए, आदर्श नगर बयाना पुलिस थाना कोतवाली बयाना जिला भरतपुर हाल डीलर उचित मूल्य दुकान वार्ड न. 11 बयाना, जिला भरतपुर होना बताया व दलाल ने पूछने पर बताया कि मेरे से आज दिन में करीब पौने एक बजे सबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल वार्ता की गई, इसके बाद करीब पौने चार बजे दो बार सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नं. 7023291738 से मेरे मोबाईल नं. 9509778960 पर जरिये मोबाईल वार्ता की व नबाव सिंह द्वारा कुछ देने पर अपने पास रखने की कहा। उस समय मैं एस.डी.एम. ऑफिस बयाना में ही था। कुछ देर पहले नबाव सिंह ने मुझे फोन भी किया था व कुछ देर पहले मेरे पास आया एस.डी.एम. ऑफिस बयाना के बाहर आया जिसने मुझे सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक के कहने पर 10,000 रूपये दिये तो मैने इससे बैग में डालने के लिए कहा लेकिन इसके द्वारा कहने पर मैने 10,000 रूपये अपने दायें हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रख लिए। परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द हालत में सुरक्षित अपने पास रखा गया। आरोपीगणों के उक्त मोबाईल को चैक किया गया तो आरोपीगण की दोनो की आपस में जरिये मोबाईल वार्ता होना पाया गया। परिवादी के मोबाईल नं. 9521847285 से आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग 9509778960 की भी आपस में जरिये मोबाईल वार्ता होना पाया गई। इसके पश्चात सरकारी वाहन में से ट्रेप वॉक्स मंगवाकर स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से ट्रेप वॉक्स में से स्टील के कटोरा निकलवाकर साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दूसरा स्टील का कटोरा स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर साफ पानी व साबुन से धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर पुर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जिसे हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर के बाये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर को प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये पेश करने की कहने पर आरोपी दलाल ने स्वयं अपने दाये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में से 500–500 रूपये के नोट निकालकर पेश किये जिनको सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक को दिलवाये जाकर गिनवाये तो स्वतंत्र गवाह ने उक्त 500–500 के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय करौली में दिनांक 23.12.2022 को तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर

हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर नम्बरी रिश्वत राशि 10,000/–रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के दोनो हाथ अच्छी तरह साबुन–पानी से साफ करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर को स्टाफ की तौलियां दी जाकर तौलियां को कमर पर लपेटवाकर अपनी पहनी हुई पेन्ट को उतार कर पेश करने की कहने पर आरोपी ने तौलिया लपेटकर कर अपनी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश किया जिसकी पीछे की दांयी जेब को छोडकर स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से तलाशी लिवाई तो पेन्ट की साईड की दांयी जेब में रखे 4853 रूपये मिले जिनको टेबल पर रखवाये गये जिनके बारे में दलाल से पूछताछ की गई तो बताया कि मैं घर से घरेलु सामान खरीदने के लिए रूपये लेकर आया था मैं बाजार से सामान खरीदकर घर ले जाता, लेकिन सामान नही खरीदने के कारण ये रूपये मैरी जेब में ही थे, इस पर आरोपी का 4853 रूपये के सम्बन्ध में उक्त जबाब सन्तोषजनक पाया गया। उक्त रूपये को पृथक से आरोपी दलाल के परिजन आने पर सुपुर्द किये जायेगे। इसके पश्चात स्टील के कटोरा को स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी व साबुन से धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर के पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क PP-1 व PP-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त पेन्ट (डार्क ब्ल्यू कलर) को कमरे में सुखवाया जाकर पेन्ट के ज़ेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. का अपराध कारित करना पाया जाने पर आरोपीगणों को नियमानुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा पूछने पर परिवादी नबाव सिंह राशन डीलर से सम्बन्धित कोई जांच आदि पैण्डिग नही होना बताया। मन पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक व आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर एवं परिवादी के मध्य रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई जिसको पृथक से सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व आरोपीगणो से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपीगणों ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 06:30 पी.एम. पर परिवादी श्री नबाव सिंह की निशादेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रोड़ लाईट की रोशनी में घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक बयाना में नही रह कर भरतपुर से ही अप–डाउन करता है, आरोपी के भरतपुर स्थित रिहायशी मकान की ब्यूरो के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री महेश मीना अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो भरतपुर द्वारा खाना तलाशी ली गई। आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग बयाना का रहने वाला है। कार्यवाही का दलाल के घर पर भी पता लग चुका है, ऐसी स्थिति में आरोपी दलाल के घर की खाना तलाशी लिये जाने का कोई औचित्य नही होने से खाना तलाशी नही ली गई। आरोपी सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक व आरोपी दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर का जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सेवा विवरण श्री केशव देव कानि. के वाट्सएप पर प्राप्त होने पर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली किया गया। श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 तलब करने पर पुलिस थाना कोतवाली बयाना में उपस्थित आया। समय 07:40 पी.एम. पर अभियुक्त दलाल

भगवान दास गर्ग राशन डीलर उचित मूल्य दुकान वार्ड न. 11 बयाना, जिला भरतपुर को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:20 पी.एम. पर अभियुक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना जिला भरतपुर को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक एवं अभियुक्त दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को पुलिस थाना कोतवाली बयाना के मैस से खाना खिलवाया गया। समय 11:55 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि., श्री केशव देव कानि., परिवादी श्री नबाव सिंह, स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक व अभियुक्त दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर को सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के अभियुक्तगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने व पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराने हेतु पृथक से तहरीर तैयार कर बाद हिदायत सुपुर्द कर करौली के लिए रवाना किया गया एवं सरकारी मोटर साईकिल व परिवादी की मोटर साईकिल को पुलिस थाना कोतवाली बयाना में खड़ी करवा कर रात्रि/सर्दी होने के कारण प्राईवेट कार से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय श्री बृजेश कुमार कानि., श्री कपिल सिंह कानि., श्री विष्णु सिंह कानि., श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. मय ट्रेप कार्यवाही में बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 10,000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, PP–1, PP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P व वजह सबूत के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों पुलिस थाना कोतवाली बयाना से रवाना होकर दिनांक 27.12.2022 को समय 02:05 ए.एम. पर हाजिर कार्यालय आया। ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 10,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, PP–1, PP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 02:30 ए.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. मय हमराहीयान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के हाजिर कार्यालय आये व बताया कि आपके निर्देशानुसार पुलिस थाना कोतवाली बयाना से सरकारी वाहन बोलेरो मय गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के रवाना हो जिला चिकित्यालय करौली पहुंच अभियुक्तगण सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक व दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण के जिला चिकित्सालय करौली से रवाना हो पुलिस थाना कोतवाली करौली पहुंच उक्त अभियुक्तगणों को बन्द हवालात करवाकर कोतवाली करौली से रवाना हो हाजिर कार्यालय आये है। समय 03:00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को दोनो स्वतत्रं गवाहान एवं परिवादी श्री नबाव सिंह के समक्ष कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर (acerकम्पनी) से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 26.12.2022 को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का 1 पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु व 3 DVD (SONY कम्नी) 2 मुल्जिम प्रति एवं 1 आई.ओ. प्रति तैयार करवाकर मार्क ''B'' अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत लेन–देन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 26.12.2022 को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा न्यायालय प्रति पैन ड्राईव (Kingston) व दोनों मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। समय 07:30 ए.एम. पर न्यायालय प्रति पेन ड्राईव मार्क B व 2 मुल्जिम प्रति शील्ड DVD

मार्क B को जमा मालखाना करवाया गया। समय 08:00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 23 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 08:30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री रूखराज मीना कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री नबाव सिंह को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.12.2022 को परिवादी से उसकी उचित मूल्य की दुकान व उसी ग्राम पंचायत की दूसरी उचित मूल्य की दूकान पर परेशान नही करने की एवज में 20,000 रूपये रिश्वत की मांग करना। दोनो दुकानों के 10,000 रूपये एडवान्स एवं 10,000 रूपये राशन का वितरण होने के बाद रिश्वत की मांग करना पाया गया। अभियुक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के समय भी परिवादी को अभियुक्त दलाल भगवान दास गर्ग के मोबाईल नम्बर देकर रिश्वत राशि देने हेतु कहा था। उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 26.12.2022 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो अभियुक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक बयाना द्वारा अभियुक्त दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर वार्ड नं. 11 बयाना से मिलिभगत कर परिवादी से वार्ता कर रिश्वत राशि अपने दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर को दिलवाई गई। अभियुक्त दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर व अभियुक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना को पकड़ा जाकर मौके पर भीड़ एकत्र होने जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली बयाना में ले जाकर अभियुक्त दलाल के दोनो हाथों की धुलाई करवाई जाकर अभियुक्त दलाल की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब से अभियुक्त दलाल द्वारा रिश्वत राशि 10,000/–रूपये निकालकर पेश करने पर जप्त कर अभियुक्त दलाल भगवान दास गर्ग राशन डीलर व अभियुक्त सुबोध कुमार प्रर्वतन निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। अतः अभियुक्त **1.** सुबोध कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह कोन्तेय, उम्र 34 वर्ष, जाति जाट, निवासी बी–63, न्यू सिविल लाईन, सारस चौराहा भरतपुर, पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग बयाना जिला भरतपुर एवं **2.** दलाल भगवान दास गर्ग पुत्र श्री डालचन्द उम्र 52 साल जाति अग्रवाल निवासी सेक्टर–ए, आदर्श नगर बयाना पुलिस थाना कोतवाली बयाना जिला भरतपुर हाल राशन डीलर उचित मूल्य दुकान वार्ड न. 11 बयाना, जिला भरतपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री सुबोध कुमार हाल प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग बयाना, जिला भरतपुर एवं 2. प्राईवेट व्यक्ति श्री भगवान दास गर्ग पुत्र श्री डालचन्द, हाल राशन डीलर उचित मूल्य दुकान वार्ड नं0 11 बयाना, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 489/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 4154-58 दिनांक 27.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. जिला रसद अधिकारी, भरतपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

27.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।